

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

श्री विन्देश्वर मिश्र अरूण, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा को निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हॉथ घूस लेते हुए पकड़े जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-2440 दिनांक 20.09.16 द्वारा निलंबित किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 10 (2) के निहित प्रावधान के अनुसार श्री मिश्र को जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

ख) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 10 (3) के निहित प्रावधान के अनुसार श्री मिश्र को करावास में रहने की अवधि में उसके प्राधिकार पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रितों को जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

ग) उक्त जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 10 (3) के निहित प्रावधान के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा से किया जायेगा।

ह0/-

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) आरोप- 03/2016-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) आरोप- 03/2016-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/सरहसा को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) आरोप- 03/2016-

194

पटना, दिनांक-

25-1-2017

प्रतिलिपि- प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा/सरहसा तथा संबंधित श्री विन्देश्वर मिश्र अरूण, निलंबित प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

25/01/17